रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)
PART II—Section 3—Sub-section (ii)
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 40] नई दिल्ली, सोमवार, जनवरी 12, 2004/पौष 22, 1925
No. 40] NEW DELHI, MONDAY, JANUARY 12, 2004/PAUSA 22, 1925

वित्त मंत्रालय

(राजस्व विभाग)

(केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 12 जनवरी, 2004

(आय-कर)

का.आ. 46(अ).—केन्द्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 17 की उपधारा (2) के खंड (vi) के साथ पठित उस अधिनियम की धारा 295 की उपधारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, आय-कर नियम, 1962 में और संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाता है, अर्थात् :—

1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम आय-कर (पहला संशोधन) नियम, 2004 है।

(2) ये 1 अप्रैल, 2004 को प्रवृत्त होंगे।

2. आय-कर नियम, 1962 के नियम 3 के उपनियम (7) के खंड (i) में "नियोजक या उसकी ओर से" शब्दों से प्रारम्भ होने वाले और "साधारण ब्याज के बराबर राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा" शब्दों पर समाप्त होने वाले भाग के स्थान पर "नियोजक या उसकी ओर से किसी व्यक्ति द्वारा सुसंगत पूर्व वर्ष के दौरान कर्मचारी या उसके घर के किसी सदस्य को उपलब्ध कराए गए किसी प्रयोजन के लिए ब्याज रहित या रियायती उधार की व्यवस्था के परिणामस्वरूप निधारिती को होने वाले फायदे का मूल्य, उसी प्रयोजन के लिए उसके द्वारा दिए गए उधार के संबंध में सुसंगत पूर्व वर्ष की पहली तारीख को भारतीय स्टेट बैंक अधिनियम, 1955 (1955 का 23) के अधीन गठित भारतीय स्टेट बैंक द्वारा प्रति वर्ष प्रभारित दर से संगणित ब्याज के बराबर राशि के रूप में अवधारित किया जाएगा" शब्द, अंक, कोष्ठक और अक्षर रखे जाएंगे।

[अधिसूचना सं. 8/2004/फा. सं. 142/4/2004-टीपीएल]

चन्द्रजीत सिंह, अवर सचिव

टिप्पणी : मूल नियम तारीख 26-3-1962 की अधिसूचना सं. का.आ. 969 के अधीन प्रकाशित किए गए थे, जिसे समय-समय पर संशोधित किया गया है और ऐसा अंतिम संशोधन अधिसूचना का.आ. सं. 1335(अ), तारीख 21-11-2003 द्वारा किया गया था।